

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(232)वित्त-1(1)आ.व्यय/2011/
संबंधित कोषाधिकारी,
राजस्थान।

जयपुर, दिनांक: 07.03.2013

(स्वीकृति संख्या- 787 /2012-13)

विषय:-वित्तीय वर्ष 2012-13 में जिला परिषदों/पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में राशि का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ 165(4)ले.ब./परावि/12-13 /1239 दि. 01.03.2013 (प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या-36/2012-13) के साथ संलग्न सारणी एवं शर्तों के अनुसार राशि रु. 657.33 लाख (अक्षरे रु. छः करोड सत्तावन लाख तैंतीस हजार) मात्र निम्न बजट मद से प्रभार्य करते हुए संबंधित जिला परिषदों/पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में उनके सम्मुख अंकितानुसार हस्तान्तरित कर दी जावे।


:-व्यय निम्नानुसार विकलेय है :-

मांग संख्या-41

| | (राशि लाख रु. में) |
|---|--------------------|
| 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम | |
| 196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता | |
| (01)-तदर्थ सहायता [01] संस्थापन | |
| 12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) | 212.28 |
| (सारणी-'अ' के अनुसार) (आयोजना) | |
| 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम | |
| 197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता | |
| (01)-तदर्थ सहायता [01] संस्थापन | |
| 12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) | 445.05 |
| (सारणी-'ब' के अनुसार) (आयोजना) | |
| कुल योग | 657.33 |

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में संबंधित जिला परिषदों/पंचायत समितियों का नाम इस स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना दर्शाते हुए अंकित किया जावे।


उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

भवदीय

07.03.13
(सुधीर शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को 5 प्रतियों सहित।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-5) विभाग।
4. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त (सीकर व झुन्झुनू को छोड़कर)।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त (जिला सीकर व झुन्झुनू को छोड़कर)।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. सिस्टम एनालिस्ट वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)